राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2241/2011/अलवर.

मैसर्स एक्रो पेन्टस् लि.,
भिवाडी, अलवर. .....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, भिवाडी. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ कैम्प जयपुर
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री विवेक सिंघल, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एन.के.बैद,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 16/11/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–व्यवसायी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.06.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट तृतीय, प्रतिकरापवंचन, भिवाडी (जिसे आगे **"जांच अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 18.02.2010 एवं 19.02.2010 को किया जाकर उपलब्ध स्टॉक की भौतिक गणना एवं रेकॉर्ड की जॉच की जाकर उपलब्ध माल का फर्म की नियमित लेखा–पुस्तकों, स्टॉक शीट से मिलान की जाकर पत्रावली कर निर्धारण हेतु वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, भिवाडी (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) को स्थानान्तरित की गई। कर निर्धारण अधिकारी ने रेकॉर्ड की जांच में पाया कि स्टॉक माल, घोषित माल से अधिक था, जिसे राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 75(8) का उल्लंघन मानकर अपीलार्थी व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में अपीलार्थी व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया, जिससे असंतुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 75(8) के तहत् कर राशि रूपये 40,141/– एवं शास्ति राशि रूपये 86,017/– कुल मांग राशि रूपये 1,26,158/– का आरोपण कर दिया। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 14.06.2011 द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह द्वितीय अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड में पेश की गयी है।

लगातार.....2

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपील आधार का समर्थन करते हुए अपीलार्थी के विद्वान प्रतिनिधि ने कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत व्यवसायी है, तथा उनके द्वारा दैनिक स्टॉक रजिस्टर का संधारण किया जाता है। जांच अधिकारी द्वारा फैक्ट्री में उत्पादित माल को भी स्टॉक में शामिल कर लिया, जो कि स्टॉक पंजिका में दर्ज नहीं था, क्योकि उत्पादित माल दैनिक स्टॉक रजिस्टर में शाम तक या अगले दिन सुबह तक दैनिक स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। इस प्रकार जांच अधिकारी ने भौतिक सत्यापन हेतु लिए गये स्टॉक की गणना सही तरीके से नहीं की है। आगे उन्होने अपने कथन में अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों को अपास्त करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों को विधिसम्मत बताते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया, एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि वक्त सर्वेक्षण उपलब्ध माल एवं भौतिक गणना में अनियमितताएँ पाई गई। फैक्ट्री में उपलब्ध कच्चे माल एवं तैयार माल का भौतिक सत्यापन दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में करवाया गया था, जो पत्रावली के पृष्ठ संख्या 17 से 20 तक तैयार भौतिक सत्यापन रिपोर्ट से परिलक्षित होते है। अतः इस बिन्दु पर अपीलार्थी की आपत्ति अस्वीकार की जाती है। इस प्रकार भौतिक सत्यापन के लिए गये स्टॉक को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। स्टॉक का मूल्यांकन भी व्यवसायी के द्वारा प्रस्तुत लेखापुस्तकों की जॉच के पश्चात् किया गया है। अतः जो माल अघोषित पाया गया, उस पर आरोपित अधिनियम की धारा 75(8) के तहत् आरोपित कर एवं शास्ति विधिसम्मत होने के कारण यथावत् रखे जाते है। अपील में कोई नया बिन्दु प्रस्तुत नहीं हुआ है। अपीलीय अधिकारी ने अपना अपीलाधीन आदेश पारित करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है, अतः इस यथावत् रखा जाता है।

7. फलतः अपीलार्थी–व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य